

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव-सह-
मुख्य निगरानी पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
कृषि विभाग/भवन निर्माण विभाग/सहकारिता विभाग/
शिक्षा विभाग/ऊर्जा विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/
वाणिज्य-कर विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/
स्वास्थ्य विभाग/गृह विभाग/गृह (आरक्षी) विभाग/
गृह (कारा) विभाग/उद्योग विभाग/श्रम संसाधन विभाग/
पंचायती राज विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/पथ निर्माण विभाग/
ग्रामीण विकास विभाग/परिवहन विभाग/
नगर विकास एवं आवास विभाग/जल संसाधन विभाग/
बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना ।
प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/सारण/मुंगेर एवं मगध, गया ।
जिला पदाधिकारी, भागलपुर/लखीसराय/नवादा एवं सारण ।

पटना-15, दिनांक 24 मार्च, 2014

विषय :- निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के काण्डों में वर्ष-2006 से 2013 तक सजायापता अभियुक्तों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना द्वारा दिनांक 20.03.14 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के कुल-104 काण्डों में वर्ष-2006 से वर्ष-2013 तक कुल-146 सजायापता अभियुक्तों की सूची उपलब्ध करायी गयी है जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है । अनुरोध है कि विभाग की वेबसाइट से उक्त सूची डाउनलोड कर सजायापता सरकारी सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें ।

ज्ञातव्य है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-20 के अनुसार न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर सरकारी सेवक को प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन का अवसर देते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा शास्ति अधिरोपित किया जा सकता है ।

अनु.-यथोक्त (कुल पृष्ठ-09) ।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव-सह-
मुख्य निगरानी पदाधिकारी ।

कृ.प.उ. 2/-

ज्ञापांक-13/विविध-01-04/2014सा.....108...../पटना-15, दिनांक मार्च, 2014

प्रतिलिपि :- निगरानी विभाग, बिहार/निगरानी (अन्वेषण) ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

[Signature]

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-13/विविध-01-04/2014सा.....108...../पटना-15, दिनांक मार्च, 2014

प्रतिलिपि :- आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को इस आशय से प्रेषित कि इसे सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के वेवसाईट पर डालने की कृपा करें ।

[Signature]

सरकार के अपर सचिव ।

वर्ष 2006 से 2013 तक निगरानी कांडों में सजायपता व्यक्तियों की सूची :-

वाद की संख्या	केस नं०	विषय	सजा	सजा की तिथि	संबंधित विभाग	वादों में शामिल लोक सेवक एवं गैर लोक सेवकों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	29/88	मो० हसन इमाम, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कृषि विभाग	एक वर्ष सजा, 1000/- रू० जुर्माना	08.06.2001	कृषि विभाग	1	
2	18/83	शंकर दयाल, जन सेवक, पंचायती राज	सजा	30.11.2003	कृषि विभाग	2	
3	05/08	श्री रामवचन सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड फलका, कटिहार	धारा-7 में 1 वर्ष कारावास 3000/-रू० जुर्माना 13 (1) (डी) में 1 वर्ष कारावास 3000/-रू० जुर्माना	11/12/2012	कृषि विभाग	3	
4	29/86	6) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रशाखा कृषि पदाधिकारी, लखिसराय	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	कृषि विभाग	4	
1	47/91	श्री जितेन्द्र मोहन, कार्यालय सहायक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना	दो वर्ष एवं 5000/-रू० जुर्माना	7/5/2010	बिहार लोक सेवा आयोग	1	
1	01/83	श्री रविभूषण प्रसाद एवं अन्य, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, भवन अचल, दरभंगा	तीन वर्ष की सजा एवं जुर्माना की सजा	24-09-10	भवन निर्माण विभाग	1	
1	32/92	बिरेन्द्र कुमार, अवर निबंधक, सहकारिता	सजा	20.12.99	सहकारिता	1	
1	07/87	महेश पाण्डेय, शिक्षा निरीक्षक, शिक्षा विभाग	सजा	13.09.95	शिक्षा विभाग	1	
2	23/86	श्री मुद्रीका राय प्रभाकर, प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग, मध्य विद्यालय, बेलाउर भोजपुर	एक वर्ष एवं 1000/- रू० जुर्माना	26-06-07	शिक्षा विभाग	2	
3	01/96	श्री रामजी सिंह, प्रधान लिपिक, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय, पटना	एक वर्ष एवं 500/-रू० जुर्माना	29-11-08	शिक्षा विभाग	3	
4	33/07	श्री ओम प्रकाश, प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी, कैमूर, भभूआ	धारा-7 में एक वर्ष एवं धारा-13 (1) (डी) में एक वर्ष छः महीना का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक धारा में 5000-5000 रू० का जुर्माना	24-02-11	शिक्षा विभाग	4	

5	32/90	श्री विरेन्द्र मोहन प्रसाद, बड़ाबाबू, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट शाखा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना	एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो सौ रु० का जुर्माना	28-05-11	शिक्षा विभाग	5	
6	72/07	अमोद कुमार झा, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी, अमौर ब्लॉक, जिला-पूर्णिया	दो वर्ष की सजा 5000/-रु० जुर्माना	3/5/2013	शिक्षा विभाग	6	
7	48/92	5. उमेश प्रसाद सिंह, प्रधानाध्यापक, प्र० विद्यालय, बरही, सोनवर्षा	पटना-II कोर्ट द्वारा प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/-रु० जुर्माना	30-03-13	शिक्षा विभाग	7	
1	11/82	युगल किशोर शरण, कनीय अभियंता, विद्युत	सजा	30.11.2003	विद्युत विभाग	1	
	11/82	केशव प्रसाद, स्टोरकीपर, विद्युत	सजा	30.11.2003	विद्युत विभाग	2	
2	91/06	श्री गयानन्द सिंह, सहायक विद्युत अवर प्रमंडल, गोगरी, खगड़िया	3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000/-रु० का जुर्माना	5/7/2012	विद्युत विभाग	3	
3	20/90	श्री दामोदर मिश्र, महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता, कांटी पावन स्टेशन, कांटी	तीन वर्ष एवं 10000/-रु० जुर्माना	2/12/2008	विद्युत विभाग	4	
1	06/04	1. श्री पिताम्बर राय, वनरक्षी।	1-1 वर्ष का सश्रम कारावास	23-04-12	वन एवं पर्यावरण विभाग	1	
1	35/06	श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, लिपिक वाणिज्यकर कार्यालय, दक्षिणी अंचल, कंकड़बाग, पटना	तीन एवं दो वर्ष की सजा एवं 4000/-रु० जुर्माना	24-11-08	वाणिज्यकर विभाग	1	
1	29/92	नागेश्वर चौधरी, लिपिक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सजा	30.01.2003	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1	
2	39/08	1) श्री अशोक कुमार, वर्तमान जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, गया।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु०	5/7/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	2	?
	39/08	2) श्री नागेन्द्र भूषण, वरीय सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, गया।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु०	5/7/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	3	
	39/08	3) श्री दिनेश प्रसाद सिंह, उप प्रबंधक।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु०	5/7/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	4	
	39/08	4) श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता, लेखापाल।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु०	5/7/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	5	
	39/08	5) श्री राजदेव सिंह, लेखा कर्मी।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु०	5/7/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	6	

	39/08	6) श्री कौशलेन्द्र कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मोहरा।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु0	5/7/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	7	
	39/08	7) श्री सतीश कुमार सिन्हा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अतरी।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु0	5/7/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	8	
	39/08	8) श्री हरि चरण मिश्र, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बोधगया।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु0	5/7/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	9	
	39/08	9) डॉ० अली ईमाम, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मखदुमपुर।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु0	5/7/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	10	
3	10/08	श्री राज कुमार महतो, सहायक गोदाम प्रबंधक, गुरनिया बांका	धारा-420 में तीन वर्ष एवं 120 में एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा	16-09-10	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	11	
4	48/92	4. वागेश्वरी प्रसाद सिंह, प्रबंधक, व्यापार मंडल,	पटना-II कोर्ट द्वारा प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/-रु0 जुर्माना	30-03-13	खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग	12	
✓1	09/85	शिव कुमार श्रीवास्तव, प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन	सजा	12.04.90	सामान्य प्रशासन विभाग	1	
✓2	39/86	रामानुज प्रसाद, सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग	सजा	03.12.92	सामान्य प्रशासन विभाग	2	
✓	39/86	राजा इमाम, अवर सचिव, उत्पाद विभाग	सजा	03.12.92	सामान्य प्रशासन विभाग	3	
✓	39/86	गोपाल शंकर प्रसाद, निजी सहायक, उत्पाद विभाग	सजा	03.12.92	सामान्य प्रशासन विभाग	4	
3	28/92	रामानन्द सिंह, विशेष दण्डाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग	सजा	31.07.99	सामान्य प्रशासन विभाग	5	
4	10/86	शंभु नाथ राम, चकबंदी पदाधिकारी, राजस्व विभाग	सजा	29.01.2000	सामान्य प्रशासन विभाग	6	
5	18/83	मुन्नी लाल मोची, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग	सजा	30.11.2003	सामान्य प्रशासन विभाग	7	
✓	18/83	महंगु मंसुरी, सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग	सजा	30.11.2003	सामान्य प्रशासन विभाग	8	
6	10/92	वैद्यनाथ साह, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा	धारा-7 में एक वर्ष सजा 10000/-रु0 जुर्माना, धारा 13 (1) (डी)/13 (2) में तीन वर्ष सजा 10000/-रु0 जुर्माना	22-04-13	सामान्य प्रशासन विभाग	9	
7	42/90	श्री कुमुद रंजन तिवारी, प्रशाखा पदाधिकारी, पशुपालन विभाग, पटना	एक वर्ष एवं 500/-रु0 जुर्माना	22-10-08	सामान्य प्रशासन विभाग	10	

3	Feb-91	1. गोरी शंकर सिंह, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।	धारा-120 बी0/420 एवं भ्र0नि0अधि0 की धाराओं में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई।	30-06-11	सामान्य प्रशासन विभाग	11	
9	29/86	1) श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखिसराय	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	सामान्य प्रशासन विभाग	12	
10	30/86	1. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखीसराय	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	सामान्य प्रशासन विभाग	13	
11	32/86	1. श्री वेद प्रकाश, तत्कालीन अंचलाधिकारी, गरखा प्रखंड सारण,	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा	12/11/2012	सामान्य प्रशासन विभाग	14	
12	48/92	1. चन्द्रशेखर सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा	पटना-II कोर्ट द्वारा प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/-रु0 जुर्माना	30-03-13	सामान्य प्रशासन विभाग	15	
13	44/11	जवाहर लाल सिंह, प्र0वि0पदा0, रामनगर, प0 चम्पारण (बैतिया)	दो वर्ष की सजा 10000/-रु0 जुर्माना	28-06-13	सामान्य प्रशासन विभाग	16	
1	09/82	डॉ0 जनार्दन प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सजा	25.05.2001	स्वास्थ्य विभाग	1	
	09/82	चितरंजन प्रसाद, लिपिक, स्वास्थ्य विभाग	सजा	25.05.2001	स्वास्थ्य विभाग	2	
	09/82	शिव बालक सिंह, परिवार नियोजन प्रसाद पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सजा	25.05.2001	स्वास्थ्य विभाग	3	
	09/82	नैयर आलम, लिपिक, स्वास्थ्य विभाग	सजा	25.05.2001	स्वास्थ्य विभाग	4	
2	16/91	अब्बुनसर मल्लिक, निजी सहायक, स्वास्थ्य विभाग	सजा	15.04.2004	स्वास्थ्य विभाग	5	
	16/91	डॉ0 एस0पी0सिंह, अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग	सजा	15.04.2004	स्वास्थ्य विभाग	6	
3	25/94	डॉ0 सच्चिदानन्द सिंह, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग	सजा	24.09.2004	स्वास्थ्य विभाग	7	
4	26/92	1. डॉ0 राम कुमार हिमांशु, चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय अस्पताल, कोईलवर, जिला भोजपुर।	प्रत्येक को दो वर्ष एवं एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रु0 का जुर्माना	26-03-11	स्वास्थ्य विभाग	8	
	26/92	2. श्री रघुनाथ सिंह, कम्पाउंडर, उपरोक्त।	प्रत्येक को दो वर्ष एवं एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रु0 का जुर्माना	26-03-11	स्वास्थ्य विभाग	9	
	26/92	3. बिल्टू सिंह, ड्रैसर उपरोक्त	प्रत्येक को दो वर्ष एवं एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रु0 का जुर्माना	26-03-11	स्वास्थ्य विभाग	10	
5	07/91	डॉ0 मो0 अफाक, देशी चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर	1.5 वर्ष की सजा एवं जुर्माना	4/11/2011	स्वास्थ्य विभाग	11	
6	13/06	डॉ0 विनोद कुमार वर्मा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0के0, काको, जहानाबाद	2 वर्ष एवं 1.5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000/-रु0 जुर्माना	7/2/2013	स्वास्थ्य विभाग	12	

1	60(12)77	सैयद इमाम अली, स0अ0नि0, गृह आरक्षी	सजा	04.09.93	गृह विभाग	1	
2	13/85	राम चन्द्र सिंह, अ0नि0, गृह आरक्षी	सजा	27.02.93	गृह विभाग	2	
3	7(10)78	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, स0अ0नि0, गृह आरक्षी	सजा	09.06.94	गृह विभाग	3	
4	115/85	शिव लखन राम, स0अ0नि0, गृह आरक्षी	सजा	12.12.94	गृह विभाग	4	
5	34/89	सूर्य नारायण तिवारी, पु0नि0, गृह आरक्षी	सजा	04.03.98	गृह विभाग	5	
6	17/90	जैकब राखा झा, पु0नि0, निगरानी	सजा	29.05.99	गृह विभाग	6	
7	24/92	महादेव चौधरी, पु0अ0नि0, गृह आरक्षी	सजा	26.02.2003	गृह विभाग	7	
8	45/91	श्री पी0सी0 श्रीवास्तव, थाना प्रभारी, चौधम, खगड़िया	पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रत्येक धारा के लिए 2000/-रु0 जुर्माना	22-01-09	गृह (आरक्षी) विभाग	8	
9	43/88	श्री बालकेश्वर प्रसाद, सहायक अवर निरीक्षक, धनरूआ थाना, पटना	सजा	21-02-09	गृह (आरक्षी) विभाग	9	
10	42/91	श्री पुनेश्वर राय, सहायक, कारापाल, मंडल कारा, पुर्णिया	धारा-7/13 में 6 महीना एवं 13 (1) (डी) में 1 वर्ष	15-06-10	गृह (कारा) विभाग	10	
11	31/79	श्री शालीग्राम शर्मा, थाना प्रभारी, चौसा, जिला सहरसा।	एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	27-08-10	गृह (आरक्षी) विभाग	11	
12	60 (12) 77	मो0 सयद इमाम अली, स0अ0नि0,	सजा	4/9/1993	गृह (आरक्षी) विभाग	12	
13	13/85	श्री रामचन्द्र सिंह, अ0नि0,	सजा	27-02-93	गृह (आरक्षी) विभाग	13	
14	7(10) 78	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, अ0अ0नि0	सजा	9/6/1994	गृह (आरक्षी) विभाग	14	
15	115/85	श्री शिव लखन राम, स0अ0नि0	सजा	12/12/1994	गृह (आरक्षी) विभाग	15	
16	17/90	श्री जैकब राखा झा, पु0नि0, निगरानी	सजा	29-05-99	गृह (आरक्षी) विभाग	16	
17	28/92	श्री धनवंत शरण, पु0अ0नि0	सजा	20-12-99	गृह (आरक्षी) विभाग	17	
18	24/92	श्री महादेव चौधरी, पु0अ0नि0	सजा	26-02-03	गृह (आरक्षी) विभाग	18	
19	26/94	नागेश्वर प्रसाद साह, तत्कालीन जेलर, उपकारा बाढ़, जिला-पटना	दो वर्ष की सजा 5000/-रु0 जुर्माना	29-05-13	गृह (कारा) विभाग	19	
20	23/08	सैयद गुलाम फरीद, पुलिस अवर निरीक्षक, बाँका थाना जिला बाँका	1.5 वर्ष की सजा एवं 5000/- रु जुर्माना	1/11/2011	गृह (आ0) विभाग	20	
21	41/08	हीतलाल दास, पु0अ0नि0, थाना परस विगहा, जिला-जहानाबाद, गृह आरक्षी	पटना ट्रैप कोर्ट द्वारा 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000/-रु0 जुर्माना	21-03-13	गृह (आ0) विभाग	21	

2	59 (9) 78	श्री महेन्द्र कुमार मस्ताना, पर्यवेक्षक, अनाज प्रशोधन उद्योग प्रभारी, खदी ग्रामोद्योग कार्यालय, गया।	एक वर्ष	16-09-08	उद्योग विभाग	1	
1	30/91	श्री कैलाश प्रसाद सिंह, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया	दो वर्ष एवं 5000/- रु0 जुर्माना की सजा	23.02.06	श्रम संसाधन विभाग	1	
	30/91	श्री कैलाश प्रसाद सिंह, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया	दो वर्ष एवं 5000/-रु0 जुर्माना की सजा	23-02-06	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2	
2	33/96	श्री रामेश्वर प्रसाद, सहायक श्रमायुक्त, श्रम एवं नियोजन विभाग, पटना	दो वर्ष	31-05-07	श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग	3	
3	01/97	श्री आनन्द बिहारी श्रीवास्तव, सहायक, श्रम एवं नियोजन विभाग, पटना	सजा	31-05-07	श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग	4	
1	122/09	श्री बट्टी ठाकुर, मुखिया, ग्राम पंचायत राज कर्णपुर, सुपौल	विभिन्न धाराओं में क्रमशः 02 वर्ष एवं एक वर्ष छः महीना तथा 5000-5000/-रु0 का जुर्माना	3/5/2011	पंचायती राज	1	
2	32/86	3. श्री अखिलेश्वर प्रसाद, उप मुखिया	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा	12/11/2012	पंचायती राज	2	
	32/86	7. श्री गोरख सिंह, मुखिया, ग्राम पंचायत राज, गरखा, सारण	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा	12/11/2012	पंचायती राज	3	
3	64/07	जगदीश पंडित (मुखिया), पंचायत-मैराबरीढ़, कतरीसराय, गया	दो वर्ष की सजा 5000/-रु0 जुर्माना	25-07-13	पंचायती राज	4	
1	40/88	कन्हैया लाल, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	एक वर्ष सजा, 5000/- रु0 जुर्माना	15.09.95	लोक स्वा0 अभि0 विभाग	1	
2	07/82	भोला सिंह, आदेशपाल, लोक स्वा0 अभि0 विभाग	सजा	02.03.96	लोक स्वा0 अभि0 विभाग	2	
3	56/06	संयुक्ता कुमारी, तत्कालीन लिपिक, अधिक्षण अभियंता कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, गया	विभिन्न धाराओं में एक-एक वर्ष एवं 2000-2000/-रु0 कुल 4000/-रु0 का जुर्माना की सजा सुनाई गई।	17-06-11	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	3	
1	12/84	अवधेश कुमार गुप्ता, अंचल निरीक्षक, राजस्व विभाग	सजा	08.08.94	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1	
2	64(10)78	जैथान प्रसाद, अंचल निरीक्षक, सामान्य प्रशासन	सजा	23.12.98	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2	
3	10/86	शैलेन्द्र बाबु, अमीन, राजस्व विभाग	सजा	29.01.2000	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	3	
4	25/89	नवल किशोर यादव, अमीन, राजस्व विभाग	सजा	29.01.2000	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	4	
5	32/86	6. श्री खुर्शीद हैदर, सर्किल इन्सपेक्टर, गरखा अंचल, सारण	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा	12/11/2012	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	5	
1	06/87	विष्णु राम, कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सजा	30.04.98	पथ निर्माण विभाग	1	

2	02/83	इन्दिरादमन सिंह, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सजा	1999	पथ निर्माण विभाग	2	
	02/83	रणविजय सिंह, कनीय अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सजा	1999	पथ निर्माण विभाग	3	
3	01/86	1) श्री विद्यानंद शर्मा, प्रवर कोटि लिपिक, राष्ट्रीय उच्च पथ कार्यालय अंचल, पटना	एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/-रु0 जुर्माना	29-05-08	पथ निर्माण विभाग	4	
	01/86	2) शारदा प्रसाद					
4	33/93	श्री राम सुरेश तिवारी, तत्कालीन कनीय अभियंता, सम्प्रति सहायक अभियंता, क्षेत्र पर्यवेक्षण प्रमंडल, अग्रिम योजना पथ निर्माण विभाग, आरा	तीन वर्ष एवं 10000/-रु0 जुर्माना	29-06-09	पथ निर्माण विभाग	5	
5	50/10	1. अवध शरण सिंह, तत्कालीन मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा	तीन-तीन वर्ष सजा	26-02-13	पथ निर्माण विभाग	6	
	50/10	2. भोला नाथ पुरण, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णिया	तीन-तीन वर्ष सजा	26-02-13	पथ निर्माण विभाग	7	
	50/10	3. सुधीर कुमार उर्फ सुधीर प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णिया	तीन-तीन वर्ष सजा	26-02-13	पथ निर्माण विभाग	8	
	50/10	4. त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज।	तीन-तीन वर्ष सजा	26-02-13	पथ निर्माण विभाग	9	
	50/10	5. सीतापति शरण, सहायक अभियंता	तीन-तीन वर्ष सजा	26-02-13	पथ निर्माण विभाग	10	
	50/10	6. त्रिलोकेश्वर प्रसाद उर्फ मिलोकेश्वर प्रसाद, कनीय अभियंता	तीन-तीन वर्ष सजा	26-02-13	पथ निर्माण विभाग	11	
	50/10	7. शेखर विश्वास, कनीय अभियंता	तीन-तीन वर्ष सजा	26-02-13	पथ निर्माण विभाग	12	
6	10/83	उर्मिला यादव, पत्नी श्री सुदीन प्रसाद यादव, कनीय अभियंता, मुंगेर	तीन वर्ष एवं 5000/- रु0 जुर्माना	24-11-08	पथ निर्माण विभाग	13	
7	29/86	2) श्री शिवनंदन सिंह, कनीय अभियंता।	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	पथ निर्माण विभाग	14	
	29/86	3) श्री रामप्रीतराय, सहायक अभियंता। N.R.E.P.	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	पथ निर्माण विभाग	15	
8	30/86	2. श्री शिवनंदन सिंह, कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लखीसराय	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	पथ निर्माण विभाग	16	
	30/86	3. श्री रामप्रीत राय, सहायक अभियंता, एन0आर0पी0ए0	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	पथ निर्माण विभाग	17	
	30/86	4. श्री गोपाल कृष्ण, सहायक, लखीसराय	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	पथ निर्माण विभाग	18	
9	36/87	श्री शैलेन्द्र मोहन दास, तत्कालीन कनीय अभियंता, नई बेली रोड शाखा, पटना	तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000/-रु0 जुर्माना	6/2/2011	पथ निर्माण विभाग	19	

0	17/87	1. पारसनाथ शर्मा, कनीय अभियंता, छौरादान, रक्सौल, मोतिहारी	दोनों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में क्रमशः 10 वर्ष, 07 वर्ष, 05 वर्ष, 07 वर्ष का कारावास एवं क्रमशः 50000/-रु0 50000/-रु0 25000/-रु00 एवं 25000/- रु0 जुर्माना	7/5/2011	पथ निर्माण विभाग	20	
	17/87	2. दिगविजय सिंह, सहायक अभियंता, रक्सौल, मोतिहारी	दोनों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में क्रमशः 10 वर्ष, 07 वर्ष, 05 वर्ष, 07 वर्ष का कारावास एवं क्रमशः 50000/-रु0 50000/-रु0 25000/-रु00 एवं 25000/- रु0 जुर्माना	7/5/2011	पथ निर्माण विभाग	21	
11	48/92	2. उमा शंकर यादव, कनीय अभियंता	पटना-II कोर्ट द्वारा प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/-रु0 जुर्माना	30-03-13	पथ निर्माण विभाग	22	
	48/92	3. मनोहर प्रसाद गुप्ता, कनीय अभियंता	पटना-II कोर्ट द्वारा प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/-रु0 जुर्माना	30-03-13	पथ निर्माण विभाग	23	
1	18/83	बबन दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग	सजा	30.11.2003	ग्रामीण विकास विभाग	1	
	18/83	राजेन्द्र, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग,	सजा	30.11.2003	ग्रामीण विकास विभाग	2	
1	Feb-91	2. जी0पी0 सिन्हा, मोटरयान निरीक्षक, बिहारशरीफ।	धारा-120 बी0/420 एवं भ्र0नि0अधि0 की धाराओं में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई।	30-06-11	परिवहन विभाग	1	
	Feb-91	3. अरुण कुमार, सहायक जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर।	धारा-120 बी0/420 एवं भ्र0नि0अधि0 की धाराओं में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई।	30-06-11	परिवहन विभाग	2	
	Feb-91	4. राजेन्द्र प्रसाद यादव	धारा-120 बी0/420 एवं भ्र0नि0अधि0 की धाराओं में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई।	30-06-11	परिवहन विभाग	3	
1	30/93	जय लगन राय, अधीक्षक, नगर निगम	सजा	24.07.2004	नगर विकास एवं आवास विभाग	1	
2	71/07	श्री शिवराज कुमार, सहायक पटना क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, पटना	एक वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रु0 का जुर्माना	28-03-11	नगर विकास एवं आवास विभाग	2	
1	43/89	शिव नन्दन प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग	सजा	14.08.2003	जल संसाधन विभाग	1	
1	14/92	श्री विश्वनाथ सिंह, लिपिक, जिला भविष्य निधि कार्यालय, भागलपुर	एक वर्ष एवं 6 महीना	31-05-10	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	1	

2	100/06	श्री किशुन दास, प्रभारी प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, पिरपौती, भागलपुर	तीन वर्ष एवं 5000/-रु0 जुर्माना	31-03-10	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	1	
1	30/86	5. श्री लक्ष्मी शंकर रावत, हल्का कर्मचारी।	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	1	
1	14/89	श्री अवधेश प्रसाद, लिपिक, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, नवादा	एक वर्ष एवं 500/-रु0 जुर्माना	20-08-08	जिला पदाधिकारी, नवादा	1	
1	11/82	उमेश कुमार वर्मा, ठेकेदार मे0 एसोसिएट इन्जनीयरिंग गैर लोक सेवक-1	सजा	30.11.2003	प्राईवेट	1	
2	18/83	धर्मदेव राय, प्राईवेट, गैर लोक सेवक-2	सजा	30.11.2003	प्राईवेट	2	
	18/83	सिराजुद्दीन, प्राईवेट, गैर लोक सेवक-3	सजा	30.11.2003	प्राईवेट	3	
	18/83	राजेन्द्र साह, प्राईवेट, गैर लोक सेवक-2	सजा	30.11.2003	प्राईवेट	4	
	18/83	श्री अर्जुन सिंह, गैर लोक सेवक-5	सजा	15.05.07	प्राईवेट	5	
	18/83	श्री अर्जुन सिंह, प्राईवेट	सजा	15+05-07	प्राईवेट	6	
3	29/86	4) श्री शंकर पासवान, अभिकर्ता।	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	प्राईवेट	7	
	29/86	5) श्री राजेन्द्र झा (नेपाल झंझ) ठेकेदार।	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	प्राईवेट	8	
4	30/86	6. श्री रामस्वरूप यादव, अभिकर्ता	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	प्राईवेट	9	
1	32/86	2. श्री कालीचरण गुप्ता, कर्मचारी गरखा, अंचल सारण।	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा	12/11/2012	जिला पदाधिकारी, सारण	1	
	32/86	4. श्री शंभु नाथ सिंह, कर्मचारी गरखा अंचल, सारण	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा	12/11/2012	जिला पदाधिकारी, सारण	2	
2	32/86	5. श्री बबन सिंह, ग्राम पंचायत राज, रामपुर	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा	12/11/2012	जिला पदाधिकारी, सारण	3	